इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 7 अप्रैल, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 25 जुलाई, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 9 अक्तूबर, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है --

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1--(1) यह अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

ऐक्ट संख्या 54, 1948 में नयी धारा 47-ए का बढ़ाया जाना

2--इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् --

प्रतिभूति

"47-ए--इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी और इस बात के होते हुए भी कि धारा 47 के अधीन परस्पर समझौते द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी है अथवा तदर्थ कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं,--

(ए) बोर्ड किसी लाइसेंसी को विद्युत् सम्भरित करने के किसी अधियाचन का अनुपालन करने के लिए तब तक बाध्य न होगा जब तक कि लाइसेंसी बोर्ड द्वारा उस पर तदर्थ लिखित नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर बोर्ड को ऐसी प्रतिभूति, जिसे बोर्ड पर्याप्त समझे, न दे;

(बी) यदि लाइसेंसी ने पहले ही प्रतिभूति न दे दी हो, अथवा यदि उसके द्वारा दी गई कोई प्रतिभूति अवैध या अपर्याप्त हो गयी हो, और ऐसा लाइसेंसी बोर्ड द्वारा उस पर उससे ऐसा अपेक्षित किये जाने का नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् सात दिन के भीतर यथापेक्षित प्रतिभूति न दे सके अथवा मूल प्रतिभूति को पर्याप्त धनराशि देकर पूरा न करे, जैसी भी दशा हो, तो बोर्ड ऐसे सम्भरण को बन्द करने का हकदार होगा।"

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 22 मार्च, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए।)

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 199 जन० (लेग०)--1972-1,334+50 S.S. (मे०)।

THE ELECTRICITY (SUPPLY) (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1972

(U. P. ACT NO. 39 OF 1972)

[**Authoritative English Text of the Electricity Supply (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam*, 1972]

AN

ACT

to amend the Electricity (Supply) Act, 1948, *in its application to Uttar Pradesh*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Electricity (Supply) (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1972.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Insertion of new section 47-A in Act no. 54 of 1948.

2. *After* section 47 of the Electricity (Supply) Act, 1948, the following section shall be *inserted*, namely—

"47-A. Notwithstanding anything, in this Act, and notwithstandin that no arrangements have been mutually agreed under section 47 or that no regulations have been made in that behalf—

Security.

(*a*) the Board shall not be bound to comply with any requisition to supply electricity to a licensee unless the licensee within fourteen days after the service on him by the Board of a notice in writing in that behalf, tenders to the Board such security as the Board deems sufficient,

(*b*) the Board shall be entitled to discontinue such supply if the licensee has not already given security, or if any security given by him has become invalid or insufficient, and such licensee fails to furnish security or to make up the original security to a sufficient amount, as the case may be, within seven days after the service upon him of notice from the Board requiring him so to do."

(For statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated March 22, 1972).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 7, 1972, and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 25, 1972).

(Received the assent of the Governor on October 7, 1972 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated October 9, 1972.)

PSUP—A. P. 200 Genl. (Leg.)—1972. 1,852+50. (M).